रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1999/फाल्गुन 18, 1920

No. 54] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1999/PHALGUNA 18, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1999

विषय : 3, 4, 5,—ट्राईमैथोक्सी बेंजालडिहाइड (टीएमबीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी सीमा शुल्कों की समीक्षा—अंतिम निष्कर्ष।

सं. 38/1/97-एडीडी.—सन् 1955 में यथासंशोधित, कस्टम टैरिफ ऐक्ट, 1975 तथा कस्टम्स टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी सीमाशुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं समाहरण तथा हानि का निश्चयन) नियमावली, 1995 का पालन करते हुए :

क. पद्धति

I. जाँच के लिए नीचे दी गयी पद्धति का पालन किया गया :-

xvi. पदनामित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने, अधिसूचना संख्या 9/10/94, तारीख 24 जुलाई 1995 द्वारा चीनी गणराज्य में उत्पादित या यहां से निर्यातित 3,4,5 ट्राई मैथोक्सी बेंजालडिहाइड (जिसे इसमें इसके बाद टीएमबीए कहा गया है) के आयातों पर निश्चित पाटन रोधी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा 20.10.1995 को लगाये गए निश्चित पाटनरोधी सीमा शुल्कों की समीक्षा आरंभ करने के लिए अधिसूचना संख्या 38/1/97-एडीडी, तारीख 12 मई, 1998 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की ।

xvii. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 9/10/94 तारीख 24 जुलाई, 1995 द्वारा समाप्त की गई जाँच को "पिछली जाँच" कहा गया है ।

xviii. प्राधिकारी ने कस्टम्टैरिफ एक्ट, 1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष 2912·49 के अन्तर्गत वर्गीकृत वैपमबीए के आयातों के संबंध में पाटन रोधी सीमाशुल्क की समीक्षा शुरू करते हुए एक आम सूचना 12 मई, 1998 को भारत के राजपत्र असाधारण में जारी की ।

xix. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों तथा उद्योग एसोसिएशनों §जिनका विवरण मै· एल्फा ड्रग (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, पिछली जाँचों के दौरान उपलब्ध कराया गया था §, को आम सूचना की एक प्रति भेजी तथा नियम 6 §2§ के अनुसार उन्हें अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया ।

xx. प्राधिकारी ने आम सूचना की प्रतियाँ भारत में वैपमबीए के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं §जिनका विवरण मै· अल्फा ड्रग इण्डिया लिमिटेड द्वारा पिछली जाँच में उपलब्ध कराया गया था§ को भेजी और उनसे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपनी राय लिखित रूप में देने के लिए कहा ।

xxi. आबकारी एवं सीमाशुल्क §सीबीईसी§ से जाँच अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान वैपमबीए के आयातों का विवरण देने का अनुरोध किया गया था । तथापि, सीबीईसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

xxii. प्राधिकारी ने नियम 6 §4§ के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में वैपमबीए के निम्नलिखित उत्पादकों को एक प्रश्नावली भेजी । तथापि, इस कम्पनियों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

- चाईना नेशनल कैमिकल्स, चीन
- बेजिंग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, चीन
- चाईना चौगिंग इंटरनेशनल फॉर इक्नोमिक एंड टैक्नीकल कार्पोरेशन, चीन
- गुआंगडांग जियांग फॉरेन ट्रेड इक्नोमिक डेवलपमेंट कम्पनी, चीन
- सिनोकैम, चीन

xxiii. नई दिल्ली में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को भी नियम 6§2§ के अनुसार समीक्षा आरंभ होने की सूचना दे दी गयी थी और उनसे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भरकर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावास को भेजी गयी थी । तथापि, किसी निर्यातक उत्पादक ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

xxiv. नियम 6§4§ के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में वैपमबीए के निम्नलिखित आयातकों और/या उपभोक्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गयी थी :-

- फार्मास्यूटिकल्स प्रोडेक्टस ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई ।
- ओरो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ।

× सूचेम लेबोरेट्रिज, अहमदाबाद ।
× शाषा कैमिकल्स लिमिटेड, रतलाम ।
× बोम्बे ड्रग्स एंड फार्मास लिमिटेड, थाने ।
× अपूर्वा कमर्शियल लिमिटेड, कलकत्ता ।
× बेरोग्स वेलकम (इंडिया) लिमिटेड, मुम्बई ।
× प्रगति फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, नैनीताल ।
× जर्मन रेमिडिज लिमिटेड, मुम्बई ।
× कास्मिक ड्रग्स एंड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर ।
× हाई-टेक, रतलाम ।
× पैन इंडिया ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, इंदौर ।
× जोरा फार्मालिमिटेड अहमदाबाद ।
× सोल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद ।
× उड़ीसा आर्गेनिकस लिमिटेड, उड़ीसा ।
× स्मृति आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, शोलापुर ।
× वैस्ट बंगाल फार्मा एंड फाइटो कैमिकल्स डेवलपमेंट का॰लि॰, कलकत्ता ।
× आई पी सी ए लैप्स लि॰ मुम्बई ।
× कोरोमंडल फार्मा लि॰, मेढक ।

मै॰ जोरा फार्मालिमिटेड तथा अपूर्वा आर्गेनिक्स लि॰ से उत्तर प्राप्त हुए थे । तथापि, अन्य आयातकों/उपभोक्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

xxv. आवश्यक सूचना मांगते हुए मै॰ अल्फा ड्रग इंडिया लि॰ को प्रश्नावली भेजी गयी थी । मै॰ अल्फा ड्रग लि॰ ने अपना उत्तर भेजा है ।

xxvi. मौखिक विचार सुनने के लिए अधिकारी ने 16.11.1998 को जन सुनवाई का आयोजन किया । इसमें मै॰ अल्फा ड्रग इंडिया लि॰, मै॰ जोरा फार्मा लि॰ तथा मै॰ बेरोग्स वेलकम (इंडिया) लि॰ ने भाग लिया । जन सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें । तथापि, लिखित अभिवेदन केवल वादियों अर्थात मै॰ अल्फा ड्रग से ही प्राप्त हुआ । तदनुसार पदनामित प्राधिकारी ने उस पर विचार किया है ।

xxvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में किसी भी हितबद्ध पार्टी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाया ।

xxviii. जाँच 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए की गयी थी ।

xxix. xxxx इस अधिसूचना में यह चिन्ह वादी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना का द्योतक है तथा नियमों के अधीन अधिकारी द्वारा इसे ऐसा माना गया है ।

xxx. उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधारों को सभी ज्ञात पार्टियों के समक्ष प्रगट किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

ख. मै. अल्फा ड्रग इण्डिया लि. के विचार :

2. वादी मै. अल्फा ड्रग इण्डिया लि. ने निम्नलिखित अभिवेदन किया है :-

(v) वर्ष 1993-94 के दौरान डैपमवीप का सीआईएफ निर्यात मूल्य अमरीकी डालर 15.74 प्रति किलोग्राम था और पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने के बावजूद 1997-98 में यह अ.डा. 12 प्रति किलो ग्राम तक नीचे आ गया ।

(vi) सीआईएफ मूल्यों में गिरावट के साथ-साथ, सीमाशुल्कों में भी महत्वपूर्ण गिरावट हुई है जो 65 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो गए हैं । जिसके कारण चीन से निर्यातित डैपमवीप का लैंडिड मूल्य कम हो गया।

(vii) जबकि सीआईएफ मूल्यों में गिरावट की, भारतीय रु. के मूल्यों में 1993-94 से 1997-98 के दौरान मूल्य में गिरावट के कारण कुछ सीमा तक प्रतिपूर्ति हुई है, यह सत्य तो बना ही रहता है कि चीनी निर्यातकों द्वारा सीआईएफ मूल्यों में कमी का परिणाम पाटन मार्जिन में वृद्धि है ।

(viii) डैपमवीप का चीन में सामान्य मूल्य उपलब्ध नहीं है । पिछली जाँच के दौरान सामान्य मूल्य का निर्धारण रु. 763/-प्रतिकिलो ग्राम पर निर्मित लागत को आधार बनाकर किया गया था । चूंकि डैपमवीप चीन में 1993-94 में भी एक परिपक्व उद्योग था और सामान्य मूल्य में कमी का कोई अवसर नहीं था, सामान्य मूल्य 1997-98 में भी वही बना रहा जो 1993-94 में था । सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्यों से तुलना करने पर पाटन मार्जिन के स्तर का द्योतक है ।

ग. **निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार**

3. अपने उत्तर में मै. जोश फार्मा ने कहा कि वे पाटनरोधी सीमा शुल्क जारी रखने का समर्थन करते हैं । तथापि, निर्धारित प्रोफार्मा में उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । मै. अपूर्वा आर्गेनिक्स ने कहा कि उनकी यूनिट पिछले 9 महीनों से बंद है । अन्य किसी निर्यातक/उत्पादक, आयातक ने प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है और कोई टिप्पणियां नहीं की हैं ।

घ· **प्राधिकारी द्वारा जाँच**

4· मै· एल्फा ड्रग इण्डिया लि·, आयातकों,उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए अभिवेदनों की जाँच की गयी है, उन पर विचार किया गया है और जहां कहीं भी उचित समझा गया, इसमें इसके बाद लिया गया है ।

ङ· **विचाराधीन उत्पाद, स्वदेशी उद्योग और समान वस्तुएं**

5· विचाराधीन उत्पाद, स्वदेशी उद्योग तथा समान वस्तुओं के संबंध में पहले अधिसूचित अंतिम निष्कर्ष अपरिवर्तित हैं ।

च· **पाटन**

सामान्य मूल्य

6· प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निश्चित करने के प्रयोजन के लिए धारा 9ए§1§सी के अनुसार एक निर्यातक प्रश्नावली ज्ञात निर्यातक को भेजी । तथापि, अधिकारी को किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया और कोई सूचना भी नहीं भेजी । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि विषयगत देश के किसी भी निर्यातक ने, नियमों में निर्धारित के अनुसार अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है । अधिकारी का यह भी मानना है कि चीन [गणराज्य में. [जनवादी टैपमबीप के सामान्य मूल्य के निर्धारण का मूल उत्तरदायित्व निर्यातकों/उत्पादकों का है जो अधिकारी के साथ सहयोग करने मे असफल रहे हैं ।

7· प्राधिकारी ने नोट किया है कि जाँच की अवधि के दौरान चीन [गणराज्य [जनवादी मूल के या वहां से निर्यातित टैपमबीप के आयात भारत में किए गए थे । किन्तु जाँच की अवधि के दौरान टैपमबीप के आयातकों ने अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और कोई सूचना नहीं दी । अतः चीन [गणराज्य से [जनवादी टैपमबीप के आयात पर इन आयातकों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

8· मै· अल्फा ड्रग इण्डिया लिमिटेड का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है कि जाँच की अवधि के दौरान टैपमबीप का वही मूल्य रहा है जो 1993-94 में था । पिछली जाँचों के सामान्य मूल्य का आधार, विभिन्न कच्चे मालों के उपभोग के मानदण्डों एवं संबोधित अवधि में कच्चे मालों के उस समय के मूल्यों के आधार पर बनाया गया था । कच्चे माल के मूल्यों में परिवर्तन और अन्य संबोधित कारणों से प्राधिकारी पहले निर्मित को सामान्य मूल्य वर्तमान समीक्षा के लिए उचित नहीं समझता ।

9. अतः पदनामित प्राधिकारी ने टीएमबीए के सामान्य मूल्य को, जाँच की अवधि के दौरान वर्तमान दशाओं के आधार पर पुनर्निर्मित किया । इस प्रयोजन के लिए मै. अल्फा ड्रग इण्डिया लिमिटेड की कच्चे माल की खपत के मानदण्डों के आधार पर, कच्चे माल की खपत को स्वीकार किया गया है । कच्चे माल की दरें वही स्वीकार की गयी हैं जो स्वदेशी बाजार में प्रचलित हैं । आयातित कच्चे मालों के मामले में सीमा शुल्कों के लिए उचित समायोजन किए गए हैं । निर्मित मूल्य के प्रयोजन के लिए मै. अल्फा ड्रग लि. के परिवर्तन लागत, जैसा कि चीन में प्रचलित है, को स्वीकार किया गया है । जाँच की अवधि के दौरान टीएमबीए के सामान्य मूल्य का हिसाब लगाने के लिए निवेशों पर आय हेतु उचित समायोजन दिए गए हैं। तदनुसार जाँच की अवधि के दौरान चीन में टीएमबीए का निर्मित मूल्य रु. 684/-प्रतिकिलो ग्राम बनता है ।

छ. निर्यात मूल्य

----

10. टी.एम.बी.ए. का निर्यात मूल्य, डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता द्वारा एकत्र की गयी सूचना के आधार पर लिया गया है । चूंकि डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता द्वारा दी गयी सूचना ही भारत में सीआईएफ मूल्य है, चीन में टीएमबीए के फैक्टरी एतर निर्यात मूल्यों का हिसाब लगाने के लिए समुद्री भाड़े बीमा खर्च तथा स्वदेशी भाड़ों हेतु उचित समायोजन किए गए हैं । समायोजनों के बाद चीन के लिए टीएमबीए का फैक्टरी औसत मूल्य रु. 410.21 प्रतिकिलो ग्राम था ।

11. चूंकि विषयगत देशों से किसी भी निर्यातक और भारत में किसी भी आयातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया, अधिकारी ने अलग-अलग आयातकों के लिए पाटन मार्जिनों का निश्चयन नहीं किया है । चूंकि किसी भी अन्य पार्टी ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ तथ्यपरक सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य में उचित तुलना तथा सामान्य मूल्य और भारित औसत निर्यात मूल्य की तुलना के प्रयोजन के लिए मै. अल्फा ड्रग इण्डिया लिमिटेड द्वारा दी गयी सूचना को स्वीकार किया है । इस तुलना को यथा फैक्टरी- आधार पर माना गया है । तुलना से निर्यात मूल्य के 64 प्रतिशत पाटन मार्जिन का पता चलता है ।

ज. क्षति तथा कारणात्मक संबंध :

----

12. स्वदेशी उद्योग को प्रभावित करते हुए आर्थिक मानदण्डों के प्रकाश में, यह मानना अनुचित होगा कि विषयगत देश से आयात से स्वदेशी उद्योग को

क्षति होगी । स्वदेशी उद्योग को प्रभावित करते हुए किसी या सभी आर्थिक मानदण्डों में सुधार, पाटनरोधी सीमाशुल्कों के लगाने की सच्चाई का ही परिणाम हो सकता है । स्वदेशी उद्योग को क्षति, तथापि, फिर भी होगी यदि उत्पाद पाटित मूल्य पर बेचा जाता है {जैसे कि स्थिति वर्तमान मामले में है} तथा आयात भारत में ऐसे मूल्यों पर आते रहें जो स्वदेशी उद्योग के उचित बिक्री मूल्य से काफी कम है । अतः स्वदेशी उद्योग को प्रभावित करते हुए आर्थिक मानदण्डों में सुधार के लिए पाटनरोधी सीमाशुल्क हटाना आवश्यक नहीं है ।

13. स्वदेशी उद्योग की बिक्री प्राप्ति में परिवर्तनों को, उत्पादन की लागत में संबंधित परिवर्तनों के संदर्भ में देखना होगा । अतः यथास्थिति बिक्री प्राप्तियों में गिरावट, पाटनरोधी सीमाशुल्क में वृद्धि की आवश्यकता नहीं बताती । पाटनरोधी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यकता पर विचार करने के लिए संबंधित कारक, पाटन मार्जिन और क्षति की सीमा {जिसे क्षति मार्जिन भी कहा गया} है । उत्पाद पर जितना पाटनरोधी शुल्क लगाए रखना आवश्यक है, उसकी सिफारिश करते हुए इन कारकों पर तदनुसार विचार किया गया है ।

छ. लैण्डिड मूल्य

14. चीन से आयातों का लैण्डिड मूल्य, डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता से प्राप्त आयातों की सूचना के आधार पर लगाया गया है । यह जाँच की अवधि में, सीमा-शुल्क के वर्तमान स्तर को मिलाकर और एक प्रतिशत लैण्डिंग एवं 2 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्जिज मिलाकर किया गया है। चीनी गणराज्य से आयातों पर इस समय लगने वाला पाटन-रोधी सीमा-शुल्क को लैण्डिड मूल्यों में शामिल नहीं किया गया है ।

ज. अंतिम निष्कर्ष

15 उपरोक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि :-

- जनवादी चीनी गणराज्य मूल की या निर्यातित वी एम बी ए भारत को सामान्य मूल्य से नीचे पर निर्यात की गई है ;
- यदि लागू किया गया पाटन-रोधी सीमा-शुल्क हटाया जाता है तो स्वदेशी उद्योग को वित्तीय हानि होगी ;
- यदि लागू पाटन-रोधी सीमा-शुल्क चीन से किए गए आयातों पर से हटाया जाता है तो यह स्वदेशी उद्योग को क्षति का कारण बनेगा ।

16. जनवादी चीनी गणराज्य मूल की या वहां से निर्यातित टी एम बी ए के आयातों पर पाटन रोधी सीमा-शुल्क लगाए जारी रखना उचित समझा गया है ।

17. इस पर विचार किया गया था कि क्या पहले सिफारिश किया गया सीमा-शुल्क, स्वदेशी उद्योग को हानि से बचा सकेगा । प्रयोजन के लिए आयातों के भारित औसत लैंडिड मूल्य की तुलना, जाँच अवधि के लिए तय किये गये स्वदेशी उद्योग के उचित बिक्री मूल्य के साथ की गई थी ।इसमें इससे पहले निश्चित किये गये के अनुसार, जहां कहीं भी अंतर पाटन मार्जिन से कम है,पाटन मार्जिन से कम के सीमा-शुल्क की सिफारिश की गई है ।तदनुसार सिफारिश की जाती है कि चीनी गणराज्य के मूल की या वहां से निर्यातित टी एम बी ए के सभी आयातों, कस्टम टैरिफ के चेप्टर-29 के अंतर्गत आने वाले, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से रु0207/- (रुपये दो सौ सात मात्र) प्रति किलो ग्राम का पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाया गया है ।

18. इस प्रयोजन के लिए लैंडिड मूल्य,निर्धारण योग्य मूल्य होगा जैसाकि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 धारा 3,3ए,8बी तथा9,9ए के अधीन की ड्यूटी को छोड़कर कस्टम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन निर्धारित किया गया है ।

19. उपरोक्त के अधीन रहते हुए अधिसूचना सं0 9/10/94, तारीख 24 जुलाई, 1995 द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्ष अपरिवर्तित हैं ।

20. इस आदेश के विरुद्ध अपील पहले के अधिनियम के अनुसार कस्टम्स,एक्साइज एण्ड गोल्ड (कंट्रोल) ऐपलेट ट्रिब्यूनल को की जा सकती है ।

रति विनय झा, पदनामित प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1999

Subject : Review of Anti-dumping duties concerning imports of 3,4,5-Tri-Methoxy Benzaldehyde (TMBA) final findings.

No. 38/1/97-ADD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. **PROCEDURE**

1. The Procedure described below has been followed:

i. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) issued a public notice vide Notification No. 38/1/97-ADD dated the 12th May, 1998, initiating review of definitive Anti Dumping Duty recommended on imports of 3,4,5-Tri-Methoxy Benzaldehyde (herein referred to as TMBA) originating in or exported from Peoples Republic of China vide Notification No. 9/10/94 dated the 24th July, 1995 and definitive Anti Dumping Duties imposed by the Central Government on 20.10.1995.

ii. The investigations concluded by the Authority vide Notification No. 9/10/94 dated 24th July, 1995 have been referred to as "the previous investigations";

iii. The Authority issued a public notice dated 12th May,1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of anti dumping duty concerning imports of TMBA, classified under custom heading 2912.49 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters and industry associations (whose details were made available by M/s. Alpha Drug India Ltd., the petitioner in the previous investigations) and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2);

v. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumers of TMBA in India (whose details were made available by M/s. Alpha Drug India Ltd. in the previous investigations) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;

vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of TMBA in India during the past three years, including the period of review. No information was however, received from CBEC;

vii. The Authority sent a questionnaire, to the following manufacturers of TMBA in the Peoples Republic of China, in accordance with the rule 6(4). These companies, however, have not filed response to the questionnaire:-

- China National Chemicals, China.
- Beijing Chemicals Import and Export Corporation, China.
- China Chongging International for Economic & Tech. Corporation, China.
- Guangdong Jieyang Foreign Trade Economic Development Co., China.
- Sino-Chem, China.

viii. The Embassy of Peoples Republic of China in New Delhi was informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent

to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers. None of the exporter/producer, however, filed any response;

ix. A questionnaire was sent to the following importers and/or consumers of TMBA in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):

- Pharmaceuticals Products of India Ltd., Bombay.
- Auro Labs Pvt. Ltd., Bombay.
- Suchem Laboratories, Ahmedabad.
- Shaba Chemicals Ltd., Ratlam.
- Bombay Drugs & Pharmas Ltd., Thane.
- Apurva Commercial Ltd., Calcutta.
- Burroughs Wellcome (India) Ltd., Bombay.
- Pragati Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,Nainital.
- German Remedies Ltd., Bombay.
- Cosmic Drugs & Chemicals Pvt. Ltd., Indore.
- Hi-Tech., Ratlam.
- Pan India Drugs & Chemicals Ltd., Indore.
- Zora Pharma Ltd., Ahmedabad.
- Sol Pharmaceuticals Ltd., Hyderbad.
- Orissa Organics Ltd., Orissa.
- Smruthi Organics Pvt. Ltd., Solapur.
- West Bengal Pharma & Phytochemicals Development Corp. Ltd., Calcutta.
- IPCA Labs Ltd., Bombay.
- Coromandel Pharma Ltd., Medak.

The reply was received from M/s Zora Pharma Ltd. and Apurva Organics Ltd. However, no response was received from the other importers/ consumers.

x. A questionnaire was sent to M/s. Alpha Drug India Ltd. calling for necessary information. M/s.Alpha Drug India Ltd. filed its response;

xi. The Authority held a public hearing on 16.11.1998 to hear the views orally, which was attended by M/s. Alpha Drug India Ltd., M/s. Zora Pharma Ltd. and M/s. Borroughs Wellcome(India) Ltd. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. However, the written submission have been received only from the petitioners i.e. M/s. Alpha Drugs. Accordingly, the same have been considered by the Designated Authority.

xii. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by any interested party;

xiii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1997 to 31st March, 1998.

xiv. **** in this notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xv. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received, if any, on the same have also been duly considered in these findings.

B. VIEWS OF M/S. ALPHA DRUG INDIA LTD.:-

2. The Petitioner M/s. Alpha Drug India Ltd. have made the following submissions:-

(i) The CIF export prices of TMBA was US$15.74 per Kg. during 1993-94 and it has come down subsequently to US$12 per Kg. 1997-98 despite the imposition of anti-dumping duties.

(ii) Alongwith the decline in the CIF prices, there has been a significant fall in the customs duties from 65% to 35% resulting in lower landed value of TMBA exported from China.

(iii) While to some extent the fall in CIF prices have been compensated by the depreciation in the value of Indian rupees from 1993-94 to 1997-98, the fact remains that the reduction of CIF prices by Chinese exporters has resulted in increase in dumping margin.

(iv) The normal value of TMBA in China is not available. The normal value based on the constructed cost was determined at Rs.763/- per Kg. during the previous investigation. As TMBA was a matured industry in China even in 1993-94 and there is no scope for any reduction in the normal value, the normal value in 1997-98 continues to be the same as in 1993-94. The normal value indicates the level of dumping margin as compared to the export prices.

C. **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

3 M/s. Zora Pharma, in their response stated that they support the continuation of the Anti-Dumping Duty. However, no information was received from them in the prescribed proforma. M/s. Apurva Organics stated that their unit is closed for the last nine months. No other exporters/producers, importers have responded to the Authority and offered any comments.

D. **EXAMINATION BY AUTHORITY**

4 The submissions made by M/s. Alpha Drug India Ltd. importers, consumers and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt hereinafter.

E **PRODUCT UNDER CONSIDERATION, DOMESTIC INDUSTRY AND LIKE ARTICLES**

5. The final findings notified earlier with regard to the product under consideration, domestic industry and like articles remain unchanged.

F **DUMPING**
Normal value

6 The Authority sent exporters questionnaire to the known exporter for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)c However, none of the exporters responded to the Authority nor furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from the subject country have co-operated with the Authority as envisaged under the Rules The Authority also holds that the primary responsibility to establish normal value of TMBA in Peoples Republic of China rests with the exporters/producers, who have failed to co-operate with the Authority.

7. The Authority notes that there were imports of TMBA in India originating in or exported from Peoples Republic of China during the period of review. But the importers of TMBA during the period of review have not co-operated with the Authority and have not furnished any information. The details of actual expenditure incurred by these importers on import of TMBA from Peoples Republic of China are, therefore, not available

8. The claims by M/s Alpha Drug India Ltd that the normal value of TMBA as prevalent in 1993-94 continues to be same during the period of investigation is not acceptable. The

normal value for the previous investigations was based on the constructed cost of production based on the norms of consumption of various raw materials and the raw material prices prevalent at the relevant time . Due to change in the raw material price and other relevant factors, the normal value as constructed earlier have not been considered by the Desginated Authority to be appropriate for the present review.

9. The Designated Authority has, therefore reconstructed the normal value of TMBA based on the conditions prevailing during the period of investigation. For this purpose, the consumption of raw materials have been adopted based on the norms of consumption of raw materials of M/s. Alpha Drug India Ltd. The raw material rates have been adopted as are prevalent in the domestic market. Appropriate adjustments have been made towards the custom duties in the case of imported raw materials. For the purpose of constructed cost, the conversion cost of M/s. Alpha Drug India Ltd. has been adopted as prevalent in China. Appropriate adjustment have been allowed for returns on investments to work out the normal value of TMBA during the period of investigation. Accordingly, the constructed cost of TMBA in China during the period of investigation works out to Rs.684/- per Kg.

G. **EXPORT PRICE**:

10. The export price of TMBA has been adopted on the basis of the information compiled by DGCI&S, Calcutta. Since the information as per DGCI&S, Calcutta is the CIF prices in India, appropriate adjustments have been made for the ocean freight, insurance charges and the inland freights to arrive at the ex-works export prices of TMBA in China. The average Ex-works prices of TMBA for China after the adjustments was Rs.410.21/Kg.

11. Since none of the exporters from the subject country and importers in India have responded to the Authority, the Authority has not determined dumping margins for individual exporters. The Authority took into account the information furnished by M/s. Alpha Drug India Ltd., as no other party has furnished any factual information with sufficient evidence, for the purpose of fair comparison between the normal value and the export price and compare normal value with weighted average export price. The comparison has been considered as on ex-works basis. The comparison shows dumping margin of 64% of export price.

H. **INJURY :**

12.

- The capacity utilisation of the domestic industry during the 1995-96 was 83%. After the imposition of the Anti-Dumping Duties, the capacity utilisation improved in 1996-97 to 110.8%. However, it has further declined in 1997-98 to 89.93%.
- The average sales realisation for domestic industry which improved during 1996-97 over 1995-96 has further deteriorated during 1997-98.
- The average sales realisation for the domestic industry have been below the fair selling prices resulting in loss of revenues to the domestic industry from the sales of TMBA.
- There have been significant increased in the closing stock of the domestic industry during the POI. The closing stock of TMBA have increased significantly from Rs. 33.81 lakhs to Rs.89.35 lakhs during 1997-98.

I. **CAUSAL LINK:**

13.

- The decline in the CIF prices of TMBA have resulted in decline in the average sales realisation for the domestic market suggesting that the domestic industry was forced to reduce its sale prices corresponding with the declining value of imports.

- Due to lower level of export prices from China, the domestic industry was not able to sell the product in the domestic market at the fair selling prices resulting in loss of revenues.

- There has been a significant decline in export prices during 1997-98 and the export prices have been significantly lower than the normal value of TMBA in China.

J. **LANDED VALUE:**

The landed value of imports from Peoples Republic of China has been calculated based on the imports information available from the DGCI&S, Calcutta, during POI, after adding the prevailing level of customs duties and one percent landing and two percent handling charges. The anti dumping duty in force on imports from Peoples Republic of China has not been included in the landed values.

FINAL FINDINGS

. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:

- TMBA originating in or exported from Peoples Republic of China has been exported to India below its normal value;

- the domestic industry would suffer material injury in case the anti-dumping duty in force is removed;

- the injury to the domestic industry would be caused from imports from Peoples Republic of China in case the anti-dumping in force is removed.

16. It is considered appropriate to continue the imposition of anti dumping duty on imports of TMBA originating in or exported from Peoples Republic of China.

17. It was considered whether the duty recommended earlier would be sufficient to prevent the injury to the domestic industry. The weighted average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the fair selling price of the domestic industry determined for the period of investigation. Wherever the difference is lower than the dumping margin, determined as detailed hereinabove, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly, it is recommended that anti dumping duty of Rs 207 (Rs Two Hundred Seven) per Kg. be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of TMBA, falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from Peoples Republic of China.

745 GI/99

18. Landed value of Imports for the purpose shall be the assessable value us as determined by the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B and 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

19. Subject to above, the final findings notified vide Notification No. 9/10/94 dated the 24th July, 1995 remains unaltered.

20. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999